



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021/403

दर्ज तिथि:-30.09.2021

1. रतनलाल पुत्र रामचन्द्र
2. सूर्यनारायण पुत्र रामचन्द्र

समस्त जातियान मीना निवासी बाछडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत मैजोड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मैजोड पंचायत समिति थानागाजी
2. नरेगा कार्यक्रम अधिकारी नरेगा पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर राज0
.....असल प्रतिवादीगण
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0
.....तकमिलीप्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागण:-

वादी अधिवक्ता:- श्री मोदूराम मीना।

प्रतिवादी अधिवक्ता:- अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:- 03.07.2023

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा- 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 141/0.89 है0 वाके ग्राम बाछडी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की जाती है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी में से होकर जबरन रास्ता कायम करने चाहते है। अन्त में निवेदन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।



2. वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असागतन-वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा-कार्यवाही अमल में लाई गयी। वाद-पत्र साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया गया एवं प्रकरण में बहस करने हेतु निवेदन किया गया।
3. वाद-पत्र में विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें और जबरन रास्ता कायम नहीं करे। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
4. मैंने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद-पत्र की पुष्टि में जमाबंदी संवत् 2073-2076 खसरा संख्या 141/0.89 है0 वाके ग्राम बाछडी के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है तथा वादी का यह कथन भी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
5. प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं:-
 1. **स्वामित्व एवं कब्जा:-** वाद पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2073-76 हाल आराजी खसरा संख्या 141/0.89 है0 वाके ग्राम बाछडी तहसील थानागाजी के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी आराजी साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।
 2. **सुविधा का संतुलन:-** मुतनाजा आराजी पर वादी की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।
 3. **अपूरणीय क्षति:-** वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि-

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा संख्या 141/0.89 है0 वाके ग्राम बाछडी आराजी हाल खसरा नम्बर तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के तहत प्रक्रिया का पालन किये बिना कोई रास्ता कायम नहीं करते हुये वादीगण की कब्जेकाश्त में अर्थात फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी-अलवर

सत्यमेव जयते

थानागाजी-अलवर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021/403

दर्ज तिथि:-30.09.2021

1. रतनलाल पुत्र रामचन्द्र
2. सूर्यनारायण पुत्र रामचन्द्र

समस्त जातियान मीना निवासी बाछडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत मैजोड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मैजोड पंचायत समिति थानागाजी
2. नरेगा कार्यक्रम अधिकारी नरेगा पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर राज0
.....असल प्रतिवादीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0
.....तकमीलीप्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागण:-

वादी अधिवक्ता:- श्री मोदूराम मीना।

प्रतिवादी अधिवक्ता:- अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा संख्या 141/0.89 है0 वाके ग्राम बाछडी आराजी हाल खसरा नम्बर तहसील थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के तहत प्रक्रिया का पालन किये बिना कोई रास्ता कायम नहीं करते

हुये वादीगण की कब्जेकाशत में अर्थात फसल बौने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

उक्त डिक्री की प्रति संबंधित को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 03.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाई जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी-अलवर



थानागाजी-अलवर